06.11.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा जाखल पटवार हल्का जाखल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 154,1565 रकबा 0.04, 0.08 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी प्रत्येक का 1/3 हिस्सा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य भू–विभाजन होना शेष है तथा राजस्व रेकर्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा उपयोग की होने से वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण प्रत्येक इंच जमीन पर शामलाती कब्जा व हक निहित है। जिस पर अप्रार्थीगण पारिवारिक अनबन रखकर नाराज होकर वादग्रस्त भूमि का विधिक भू–विभाजन कराये बिना बिना सहमति से आराजी विशेष खसरा उपजाऊ व विशेष भू–भाग पर अवैध व गैर कानूनी रूप से अधिक भूमि पर कब्जा कर खाई खोद कर पत्थर बजरी डालकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तथा भूमि का बैचान अजनबी व्यक्ति को करना चाहते है। ऐसा करने का इन्हे कोई कानूनी हक अधिकार नही है। जिससे प्रार्थीगण के हक खतरे में पड़ जायेगें। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नही है। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। तथा अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा व अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ है। उक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये बैचान दस्तावेज से खरीद की है। सह खातेदारो ने अपनी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा कर अपना–अपना अलग–अलग हिस्सा कर माठे कायम कर कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त आराजी मौजा जाखल की आबादी भूमि से लगती मुख्य सड़क पर स्थित होने से भूमि का बाजार भाव अत्यधिक बढ जाने से प्रार्थीगण की नियम बिगड़ जाने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से की जमीन अवैध रूप से हड़पने की नियत से हल्का पटवारी से मिलावट कर जमाबंदी संवत 2074 से 2077 से प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा गलत व अवैध बिना आधार मनमाने ढंग से दर्ज कर प्रार्थीगण के हिस्से में अधिक भूमि दर्ज कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का गलत 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी कर फर्जी व कुटरचित जमाबन्दी में [illegible] करवाया है जो गलत व विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण [illegible] जमीन को अवैध रूप से हड़पने की नियत से आधारहीन तथ्यों [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमनें वकील उभय पक्षकारान की ब[illegible] पर मनन किया व पत्राव[illegible] पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आरा[illegible] संयुक्त खातेदार प्रकट होती है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा जाखल पटवार हल्का जाखल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 154,1565 रकबा 0.04, 0.08 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner